न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 107 / 2021 (2021 / 292) दर्ज दिनांक 27.07.2021
वाद— अन्तर्गत धारा —88 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

शहनाज बानु पत्नि शहादत हुसैन शेख मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः— श्री मुकेश कुमार चौधरी
पेरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 25.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् 88 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम भूणास, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 447 पर अंकित आराजी संख्या 3034 रकबा 0.66 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.66 हे0 भूमि स्थित है, प्रमाण मे नकल जमाबंद संवत 2063 से 2066 प्रस्तुत है।

यह कि खातेदार लक्ष्मीलाल ने उक्त आराजी संख्या 3034 रकबा 0.66 हे0 भूमि को मुझ वादिया को बिल एवज 80,000 / — में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 10.07.2009 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से लेकर आज दिन तक वादी उक्त भूमि काश्त पर काश्त का लाभ लेते आ रही है।

यह कि विक्रय पत्र निष्पादन करवाते समय कम्प्यूटर भूल की वजह से मुझ वादिया का नाम शहनाज [illegible] टंकित हो गया है और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण [illegible]02 दिनांक 08 / 10 / 2009 को शहजान बानु के नाम से [illegible] 2063 से 2066 में मुझ वादिया का नाम शहज[illegible] है। तथा वर्तमान [illegible] राजस्व रिकार्ड में मुझ वादीया का नाम शहजान बानु [illegible]र्ज रिकार्ड चला आ [illegible] जिससे मुझ वादिया का नाम नवीनतम जमाबंदी मे दुरूस्त किया जाकर [illegible]हित में शहनाज बानु की घोषणा करवायी जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मुझ वादिया के समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता एवं अन्य सभी दस्तावेज में मेरा नाम शहनाज बानु ही अंकित है। जिससे राजस्व रिकार्ड में भी मुझ वादिया का नाम शहनाज बानु के स्थान पर शहनाज बानू अंकित किया जाने की घोषणा किया जाना आवश्यक है। विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजियात में खातेदार काश्तकार शहजान बानू के स्थान पर शहनाज बानू अंकित किया जावें उसी अनुरूप उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

यह कि राजस्व रिकार्ड में मुझ वादीया का नाम शहनाज बानु के बजाय शहजान बानु अंकित हो जाने की वजह से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान लाभ आदि प्राप्त करने में मुझ वादिया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा लाभ आदि प्राप्त करने से वंचित हो रही हूँ जिससे राजस्व रिकार्ड में मुझ वादिया का नाम शहजान बानू के बजाय शहनाज बानू अंकित करवा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक है। जिससे उक्त आशय की घोषणात्मक डिकी जारी फरमायी जावें।

अतः सादर प्रार्थना हैं वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा डिकी फरमायी जावें कि ग्राम भूणास, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 447 पर अंकित आराजी संख्या 3034 रकबा 0.66 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.66 हे0 भूमि के खातेदार काश्तकार शहजान बानू के स्थान पर शहनाज बानू अंकित किया जावें और इसी आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 27.07.2021 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नहीं देने एवं वाद पत्र में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकलें प्रमाणित शुदा पेश नहीं करने से वाद पोषनीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी हेतु शपथ पत्र पेश कर उस पर बयान कथन किये कि मैं मेरी मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र पी0डब्ल्यू–1 आज दिनांक 11.10.2021 को पेश किया जिस पर मैंने पढ़कर अपने हस्ताक्षर किये। मैने मेरे साक्ष्य में असल विक्रय पत्र प्रदर्श–1, विकय पत्र की छायाप्रति प्रदर्श–1(अ) जिसमें क्लाईमेंट पृष्ठ संख्या 2 के पृष्ठ भाग पर ए से बी स्थान पर मेरा सही नाम लिखा हुआ है। जमाबंदी संवत् 2063–66 प्रदर्श 2 एवं जमाबंदी संवत 2063–66 की छायाप्रति प्रदर्श –2(अ) हैं। जमाबंदी संवत 2075–20.. प्रदर्श –3 है, आधार कार्ड छाया प्रति प्रदर्श –4 (अ) जनआधार कार्ड छायाप्रति ...(अ) है। जिस पर जिरह प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा की गई कि 2009 में मैने रजिस्ट्री करवाई। छः माह पूर्व मेरे को खाते में प्रधानमंत्री किसान निधि की किशत नहीं होने के बाद मुझे पता चला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एवं पेरोकार रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद बाबत घोषणा यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतःएव–

–: आदेश :–

वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीया का नाम ग्राम भूणास, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के स्थित हल्का आबादी में खाता संख्या 447 पर अंकित आराजी संख्या 3034 रकबा 0.66 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.66 हे0 भूमि के खातेदार काश्तकार का नाम शहजान बानू के स्थान पर **शहनाज बानू** राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 107/2021 (2021/292) दर्ज दिनांक 27.07.2021
वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

शहनाज बानु पत्नि शहादत हुसैन शेख मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री मुकेश कुमार चौधरी
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 25.10.2021

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार चौधरी , प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निस्तारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ——×—— और इस वाद के खर्च लेखे ——×—— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ——×—— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ——×—— द्वारा ——×—— को दी जाए।

वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीया का नाम ग्राम भूणास, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 447 पर अंकित आराजी संख्या 3034 रकबा 0.66 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.66 हे0 भूमि के खातेदार काश्तकार का नाम **शहजान बानू** के स्थान पर **शहनाज बानू** राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:31:07 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

(हस्ताक्षर अधिकार देने वाला/देने वाले)